शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स/ई–मेल
संख्याः–265/6–पु0–15–2013

प्रेषक,

आर0एम0श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव
गृह, गोपन एवं सतर्कता विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग–15 लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2013

विषयः–**नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाओं को रोका जाना।**

महोदय,

महिलाओं के बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। इधर हाल में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म एवं उसके बाद हत्या कर दिए जाने की घटनाएं समाज एवं शासन के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। महिलाओं एवं अवयस्क बच्चियों के साथ यौन हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पीड़िता को न्याय दिलाए जाने की प्रकिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से **'दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013'** लागू किया गया है जिसके माध्यम से भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के प्राविधानों को संशोधित किया गया है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु की किशोरियों व बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी व यौन दुराचार के मामलों में दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिलाए जाते हुए भारत सरकार द्वारा पास्को अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) पारित किया गया है।

इन नृशंस अपराधों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि सम्भावित असुरक्षित नाबालिग लड़कियों के अभिभावकों को उनके आसपास मंडराते खतरों से सावधान किया जाए तथा पुलिस प्रशासन के प्रयासों में उनकी सक्रिय सहभागिता प्राप्त की जाए।

इस संबंध में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराएंः–

(1) जनपद के नगरीय क्षेत्रों विशेषतया slum areas अथवा ऐसी पुरानी एवं अविकसित नगरीय बस्तियों, जहां नाबालिग बच्चियां आसानी से ऐसे अपराधों की शिकार हो सकती हैं, में कम्यूनिटी पुलिसिंग के माध्यम से थानाध्यक्ष तथा सम्बन्धित पुलिस चौकी के प्रभारी के माध्यम से वहां के निवासियों के बीच जागरूकता–अभियान चलाया जाए। इस हेतु थाना/पुलिस चौकी स्तर पर क्षेत्र के सक्रिय नागरिकों की समितियां गठित की जाए और उसकी नियमित रूप से बैठकें की जाएं।

(2) इस जागरूकता अभियान में महिला अध्यापिकाओं(शिक्षा मित्रों सहित), आशा बहुओं तथा आंगनबड़ी कार्यकताओं की सहभागिता अत्यन्त उपयोगी होगी। इन महिला कार्मिकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से थाना/पुलिस चौकी स्तर पर गठित की गयी समितियों में अनिवार्य रूप से नामित करा दिया जाय तथा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा हेतु अभिभावकों से सम्पर्क बनाये रखेंगी तथा उन्हें सावधान रहने की सलाह देती रहेंगी।

(3) समितियों के सदस्यों को प्रेरित किया जाए कि वे मोहल्लों के असामाजिक तत्वों, शोहदों और आवारा घूमने वाले मनचलों पर सतर्क निगाह रखें और जिनकी भी गतिविधियां सन्दिग्ध लगें, उनके सम्बन्ध में तत्काल पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष या चौकी प्रभारी को सूचित करें।

(4) नगरीय क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों की अविकसित पुरानी बस्तियों के समान ही ऐसी कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में भी करायी जाए। इस हेतु थाना एवं चौकी स्तर पर क्षेत्र के निवासियों की सहभागिता से समिति बनायी जाए। ऐसी समितियों की बैठक में ग्राम प्रधान, लेखपाल एवं ग्राम चौकीदार को अवश्य आमंत्रित किया जाय। ग्राम प्रधान, लेखपाल एवं ग्राम चौकीदार का दायित्व होगा कि वे ग्रामीणों को ऐसे अपराधों पर रोक लगाने एवं शोहदों पर सतर्क निगाह रखने हेतु प्रेरित करेंगे। यह देखा गया है कि शहरों में काम करने वाले एवं पढ़ने वाले लड़के जब छुट्टियों में गांव जाते हैं तो ऐसे अपराधों में उनके संलिप्त होने की सम्भावना बनी रहती है।

(5) जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य ऐसे अपराधों की समीक्षा कर लें। ऐसे अपराधों को घटित होने की दशा में दोनों वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि तत्काल मौके पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(6) उ0प्र0 पुलिस तथा उ0प्र0 राज्य महिला आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त **संकटकालीन मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना** की जाय जो थाने पर बलात्कार आदि महिला उत्पीड़न की सूचना प्राप्त होने पर पीड़ित महिला की परामर्श तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए तुरन्त पहुँचे। प्रत्येक जिले में इस उद्देश्य के लिए किसी एक अथवा अधिक स्वयंसेवी संस्था को चिन्हित किया जा सकता है। इन केन्द्रों/संस्थाओं का पता, टेलीफोन न0 तथा नोडल व्यक्ति का नाम जिले में तथा प्रत्येक थाने पर रखा जाय। थाने पर बलात्कार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थानाध्यक्ष/विवेचक जिले की Crisis Intervention सेन्टर को सूचित करेगा।

(7) भारतीय संविधान की धारा--38(1) में निहित निर्देशों के अनुपालन में बलात्कार पीड़ित महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक तथा मानसिक क्षति को ध्यान में रखकर उन्हें प्रतिपूर्ति दिया जाय। मा0न्यायालय द्वारा पीड़ित को क्षतिपूर्ति अभियुक्त के दोष सिद्वि पर दिया जायेगा, किन्तु बोर्ड द्वारा दोषसिद्व होने तथा दोषमुक्त होने की स्थिति में दिया जायेगा। क्षतिपूर्ति बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति का आकलन करते समय पीड़िता के दर्द, पीड़ा, सदमा, गर्भधारण के कारण आजीविका की हानि, बच्चे के जन्म पर होने वाले खर्च आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा।